

राजस्थान सरकार
राजस्वग्रुप-8 विभाग

क्रमांक:- प० 6/राज-6/200/23

जयपुर, दिनांक:- 10.12.2004

1. समस्त अभागीय आयुक्त, राज.।
2. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।

विषय:- राजस्व अधिकारियों द्वारा हैसियत प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार लेख है कि यद्यपि राजस्व नियतों में हैसियत प्रमाण पत्र के जारी में स्पष्ट प्रावधान नहीं है परन्तु कृषकों को विभिन्न कार्यों हेतु हैसियत प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, इसलिए नीतिगत निर्णय लिया गया है कि हैसियत प्रमाण पत्र कृषक द्वारा धारित आतेदारी भूमि, उपनिवेशन क्षेत्र में कृषक द्वारा उपनिवेशन क्षेत्र की घोषणा से पूर्व धारित सीमित सीमा तक की आतेदारी भूमि तथा नवीन आवंटन के मामलों में आवंटन की जास्त किरातों का कटौत करने पर पड़ता आवंटित भूमि की कीमत, सल, की अथवा प्रयुक्त बाजार दर को ध्यान में रखते हुए कृषि भूमि की कीमत का हैसियत प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा जारी किया जा सकेगा।

आज्ञा से



उप शासन सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यककार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. चिपरेड्ट सहायक, राजस्व अर्थी महोदय, राजस्थान सरकार
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, राजस्व विभाग।
3. राजस्व अडलत, जयपुर को जमी पत्र क्र. राज/पू.अ/अ-3/म.134/99/1136।

दिनांक 15.9.04 के संबंध में।

4. समस्त उप शासन सचिव, राजस्व विभाग
5. रचित पत्रावली।



उप शासन सचिव